


उत्तर प्रदेश शासन  
राज्य योजना आयोग-2  
संख्या-9/5/35-आ-2/2007-69  
लखनऊ: दिनांक 13 अगस्त, 2013

कार्यालय-ज्ञाप


ज़िला योजना समिति के सदस्य के रूप में मंत्री मण्डल के सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किये जाने विषयक समसंख्यक कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14 जून, 2012 के साथ पठित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14 जुलाई, 2012, दिनांक 26 जुलाई, 2012, दिनांक 30 अक्टूबर, 2012, दिनांक 07 नवम्बर, 2012, दिनांक 11 अप्रैल, 2013 एवं दिनांक 11 जून, 2013 में आंशिक संशोधन करते हुये एतद्वारा उत्तर प्रदेश ज़िला योजना समिति अधिनियम, 1999 की धारा-4 की उप धारा (4) के खण्ड(क) के अधीन जनपद गौतमबुद्धनगर में श्री डा. वकार अहमद शाह के स्थान पर मंत्री-मण्डल के सदस्य श्री कैलाश को ज़िला योजना समिति के सदस्य के रूप में, जो समिति के अध्यक्ष होंगे, नाम-निर्दिष्ट किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

  
( संजीव मिस्तल )  
प्रमुख सचिव, नियोजन।

संख्या: 9/5(1)/35-आ-2/2007-69, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त मा. मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के निजी सचिव को मा. मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 2- मा. मुख्य मंत्री जी के निजी सचिव।
- 3- मा. उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग के निजी सचिव।
- 4- मुख्य सचिव के निजी सचिव।
- 5- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री।
- 6- प्रमुख सचिव, विधान सभा।
- 7- प्रमुख सचिव, विधान परिषद।
- 8- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
- 9- समस्त विभागाध्यक्ष।
- 11- समस्त मण्डलायुक्त।
- 12- समस्त ज़िलाधिकारी।
- 13- समस्त मुख्य विकास अधिकारी।
- 14- समस्त ज़िला अर्थ एवं संख्या अधिकारी।
- 15- संसदीय कार्य अनुभाग-1/2
- 16- गोपन अनुभाग-1
- 17- नियोजन विभाग तथा राज्य योजना आयोग के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग।
- 18- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ.प्र. को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कर दें।

  
( संजीव मिस्तल )  
प्रमुख सचिव, नियोजन।